

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान ..... कुलदीप कौर आदि बनाम ..... दलजीत कौर आदि  
 प्रकरण संख्या ..... 77 / 2022 अन्तर्गत धारा ..... 212 RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर जो इस पालना
--------	-----------------------------------	-------------------

13<sup>2</sup>/<sub>25</sub> बार सच का कार्य न्यायगत है श्री मान PO सहित अन्य कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 21/2/25 को पेश हो Kamra

21<sup>02</sup>/<sub>25</sub> अधिवक्तागण उपस्थित। बहस सुनी गई। 71 की अवधि आगामी पेशी तक बहाई जाती है। पत्रावली पेशी आदेश दिनांक 25/02/2025 को पेश हो।

25<sup>2</sup>/<sub>25</sub> बकाल फरीकन उपस्थित श्रीमान PO सहित अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 23/2/25 को पेश हो। Kamra

23<sup>3</sup>/<sub>25</sub> अधिवक्तागण उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA पर की गई बहस पर मगन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दु यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थगिण के पूज में बनना प्रतीत होते हैं। अतः प्रार्थगिण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA बाबत अस्थाई आदेश बहक प्रार्थगिण विरुद्ध अप्रार्थगिण भली भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थाई विधिधारा दिनांक 07/11/2022 मूलवाद के विनियम तक स्थायी की जाती है। पत्रावली विनियम लेकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। Kamra



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
 श्री करणपुर